

मुल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम
पीठासीन अधिकारी:- दूदाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 118/2024

01. श्री बगतावरसिंह पिता शेरसिंह रावत
 02. श्री प्रतापसिंह पिता रूपसिंह रावत
 03. श्री तारासिंह पिता रूपसिंह रावत
 04. श्री अमरसिंह पिता रूपसिंह रावत
- समस्त निवासीयान टोगी तहसील भीम जिला राजसमन्द

.....वादी

बनाम

01. श्री जोरसिंह पिता शेरसिंह रावत निवासी टोगी तहसील भीम जिला राजसमन्द
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम जिला राजसमन्द

.....प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मिठासिंह चौहान व प्रतिवादी स्टेट की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति में राजीनामों के आधार पर इस वाद में आज दिनांक 08.03.2025 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोगी पटवार मण्डल टोगी के खसरा नंबर 92 रकबा कमशः 0.1942 है0 में जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि प्रतिवादी जोरसिंह के साथ बगतावरसिंह, प्रतापसिंह, तारासिंह, अमरसिंह वादी का नाम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

यह आज तारीख 8/3/2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द
प्रतिवादी

वादी	रुपया	जोड	रुपया
—	—	—	—
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द